

पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य ३० प्र० अपट्रॉन इण्डिया लि० के सरप्लस कर्मचारियों का समायोजन (118)/2024-25/ / राज्य कर कार्यालय आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश (स्थापना अराजपत्रित अनुभाग) लखनऊः दिनांक: ०७ जनवरी, २०२५

समस्त जोनल अपर आयुक्ता, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश (गौतमबुद्ध नगर जोन, नोएडा को छोड़कर)।
विषय:- अपट्रॉन कर्मियों के समायोजन के संबंध में।

कृपया प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-१ ३०प्र० शासन के पत्र संख्या-1089/78-१-2024-1099/३३/२०२४ दिनांक-०८-११-२०२४(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आमेलित अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड के कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाने के संबंध में बिन्दुवार स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में शासन के उक्त पत्र दिनांक-०८.११.२०२४ की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि यत्र में को गयी अपेक्षानुसार प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड।



(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्रसंख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- अपर आयुक्त, राज्य कर, गौतमबुद्ध नगर जोन, नोएडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासन के उक्त पत्र दिनांक-०८.११.२०२४ में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाहीं कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- २- अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- ३- संयुक्त आयुक्त (स्थापना राजपत्रित/आई०टी०/संग्रह), राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
- ४- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- ५- सहायक आयुक्त, राज्य कर, जवाहर भवन, लखनऊ।
- ६- पटल प्रभारी, स्था०-५ क, ५ ग, ४ क, ४ ख, ४ ग, ४ घ, ३ क एवं ३ ख(स्थापना अराजपत्रित), राज्य कर मुख्यालय।

संलग्नक:- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड।



अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

45/2024/

संख्या:-1089/78-1-2024-1099/33/2024

ग्रेजक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1089/PS/ST/24
VS(SP)

सेवा में,

- 1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-कार्यालय समापक,
सम्बद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1

विषय:- अपट्रान कर्मियों के समायोजन के संबंध में।
महोदय,

लखनऊ:दिनांक: 08 नवम्बर 2024

(एचटीडीएस) ५
प्रमुख सचिव
राज्य कर विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

उपर्युक्त विषयक आई.टी.० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-१ के शासनादेश सं०-१४७८/७८-१-२०११-५१३०/९२टीसी-५, दिनांक २०-१२-२०११ (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट कर।

२- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के कर्मिकों का आमेलन विभिन्न सरकारी विभागों में "उत्तर प्रदेश अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के सरप्लस कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 2011" के अन्तर्गत किया गया है। दिनांक ०१-०४-२००५ से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय पेशन प्रणाली लागू की जा चुकी है। अपट्रान कर्मी जब-तक उनका आमेलन सरकारी विभाग में नहीं हुआ तब-तक वे अपट्रान के ही कार्मिक रहें। अपट्रान की सेवाएं पेशनेबल नहीं थी। अतः उक्त आमेलित अपट्रान इण्डिया लिं० के कर्मिकों के सेवानिवृत्तिक लाभ के संबंध में निम्नानुसार विनियुओं को स्पष्ट किया जाता है:-

(१) अपट्रान इण्डिया लिं० के पूर्व कर्मिकों, जिनका आमेलन/समायोजन सरकारी विभागों

में हुआ है, की शासकीय सेवा में आमेलन के पूर्व की अपट्रोन इण्डिया लिं० की सेवाओं को जोड़ते हुए पेशन के लाभ स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं। उपर्युक्त व्यवस्था से इतर कोई नियमावली यदि किसी विभाग द्वारा निर्गत की गयी है तो संयुक्त सचिव, ऐसी नियमावली शासनादेशों के प्रतिकूल है तथा उसमें संशोधन की आवश्यकता है।

(२) उपर्युक्त संयुक्त सचिव, सरकारी सेवा में आमेलन के पूर्व की अपट्रोन इण्डिया लिमिटेड की सेवाओं के लिए उपर्युक्त संयुक्त सचिव, सरकारी सेवा में आमेलन के बाद जिस तिथि से सरकारी सेवा की गयी है उस तिथि से सरकारी सेवा की अनुमन्य येच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण का लाभ अपट्रोन के नियमों के अनुसार देय होंगे।

(३) अपट्रोन कर्मिकों द्वारा शासकीय सेवा में आमेलन के बाद जिस तिथि से सरकारी सेवा की गयी है उस तिथि से सरकारी सेवा की अनुमन्य येच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण का लाभ देय होगा।

प्रमुख
(प्रमुख प्रकाश संह)

उप सचिव,
राज्य कर विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

मेरि नाम
मेरि नाम

1892/11/3-2024

45/2024

संख्या:-1089/78-1-2024-1099/33/2024

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रभुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रभुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-कर्यालय समापक,
सम्बद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

1089/PS/ST/24
VS (SP)

११८९/१०८५
प्रभुख सचिव
राज्य कर विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

आईटी, एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1

लखनऊ:दिनांक: 08 नवम्बर 2024

विषय:- अपट्रान कर्मियों के समायोजन के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आईटी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-१ के शासनादेश सं०-1478/78-1-2011-51इले०/92टीसी-५, दिनांक 20-12-2011 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के कार्मिकों का आमेलन विभिन्न सरकारी विभागों में "उत्तर प्रदेश अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के सरप्लस कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 2011" के अन्तर्गत किया गया है। दिनांक 01-04-2005 से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय पेशन प्रणाली लागू की जा चुकी है। अपट्रान कर्मी जब-तक उनका आमेलन सरकारी विभाग में नहीं हुआ तब-तक वे अपट्रान के ही कार्मिक रहें। अपट्रान की सेवाएं पेशनेवाल नहीं थी। अतः उक्त आमेलित अपट्रान इण्डिया लिं० के कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक लाभ के संबंध में निम्नानुसार विनियुक्ति की जाता है:-

(1) अपट्रान इण्डिया लिं० के पूर्व कर्मिकों, जिनका आमेलन/समायोजन सरकारी विभागों

में हुआ है, की शासकीय सेवा में आमेलन के पूर्व की अपट्रोन इण्डिया लिं० की सेवाओं को जोड़ते हुए पेशन के लाभ स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं। उपर्युक्त

(रघुवर प्रसाद) व्यवस्था से इतर कोई नियमावली यदि किसी विभाग द्वारा निर्गत की गयी है तो संयुक्त सचिव, ऐसी नियमावली शासनादेशों के प्रतिकूल है तथा उसमें संशोधन की आवश्यकता है। उल्लङ्घण्ठा (रघुवर प्रसाद) सरकारी सेवा में आमेलन के पूर्व की अपट्रोन इण्डिया लिमिटेड की सेवाओं के लिए ग्रेचुटी एवं अवकाश नगदीकरण का लाभ अपट्रोन के नियमों के अनुसार देय होगा।

(3) अपट्रोन कर्मिकों द्वारा शासकीय सेवा में आमेलन के बाद जिस तिथि से सरकारी

सेवा की गयी है उस तिथि से सरकारी सेवा की अनुमन्य ग्रेचुटी एवं अवकाश नगदीकरण का लाभ देय होगा।

प्रभुख सचिव
(प्रभुख प्रकाश सिंह)
उप सचिव,
राज्य कर विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

मीठा २०२४
३१/११/२४

(4) अपट्रॉन कार्मिकों द्वारा शासकीय सेवा में आमेलन के बाद जिस तिथि से सरकारी सेवा की गयी है उस तिथि से सरकारी सेवा की देयता राज्य सरकार की होगी। शासकीय सेवा में आमेलन से पूर्व अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड की सेवाओं के देयकों के अुगतान का दायित्व राज्य सरकार का नहीं है।

3- अल: अनुरोध है कि विभिन्न विभागों में सरकारी सेवा में आमेलित अपट्रॉन कार्मियों के सेवानिवृत्तिक लाभों को दिये जाने के संबंध में कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोक्तु।

Signed by

भवदीय,

Anil Kumar Sagar

(अनिल कुमार सागर)

Date: 07-11-2024 16:34:20

प्रमुख सचिव।

पुस्तकालय- 1089(1)/78-1-2024, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, ३०प्र० शासन।

2-निजी सचिव, मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन।

3-निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, ३०प्र० शासन।

4-निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिवगण,आई०टी० एवं इल० विभाग, ३०प्र० शासन।

5-प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।

6-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by

Neha Jain

(नेहा जैन)

Date: 08-11-2024 15:12:35 विशेष सचिव।

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उ.प्र. शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 20 दिसम्बर, 2011

विषय: अपट्रान कर्मियों के समायोजन के संबंध में।

महोदय,

अपट्रान इण्डिया लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम यू0पी0इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक इकाई के रूप में की गयी थी। अपट्रान इण्डिया लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र के विभिन्न उत्पादों यथा-टी0वी० इण्टरकाम, टेलीफोन एक्सचेज आदि के उत्पादन, बिक्की एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण का कार्य सम्पादित किया जाता था। वर्ष 1987-88 तक अपट्रान इण्डिया लिमिटेड लाभ की स्थिति में थी, किन्तु वित्तीय वर्ष 1988-89 से उक्त इकाई पै हानि प्रारम्भ हो गयी। अन्ततोगत्वा दिनांक 20.06.1994 को अपट्रान को बी0आई0एफ0आर0 को सन्दर्भित कर दिया गया। कालान्तर में अपट्रान इण्डिया लिमिटेड की कन्सल्टेंसी डिवीजन को छोड़कर अन्य सभी इकाईयों को बन्द किये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया। उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप सरप्लस हुए कार्मिकों को कार्भिक विभाग के शासनादेश संख्या-1/6/97-का-4-1998, दिनांक 11.11.1998 के प्राविधानों के अनुसार विभिन्न विभागों/आयोगों आदि में संविदा अधवा बाडीशापिंग के आधार पर तैयार किया गया। सम्रति विभिन्न विभागों/आयोगों आदि में संविदा/बाडीशापिंग के आधार पर कार्भिक कार्यरत हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के फलस्वरूप सभ्रति सरकारी विभागों में संविदा/बाडीशापिंग के आधार पर कार्यरत अपट्रान कार्मिकों को उन्हीं विभागों में समायोजित किये जाने का निर्णय सिया गया है। उक्त निर्णय के अनुपालन में “उत्तर प्रदेश अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के सरप्लस कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 2011” संबंधी अधिसूचना संख्या 1477 दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 संलग्न है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपट्रान कर्मियों के सम्योजन के संबंध में शासन द्वारा निम्न निर्णय लिये गए:-

(क) सम्रति सरकारी विभागों में संविदा/बाडीशापिंग के आधार पर कार्यरत अपट्रान कार्मिकों को उन्हीं विभागों में समायोजित किया जाये। उक्त निर्णय के अनुपालन में “उत्तर प्रदेश अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के सरप्लस कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 2011” संबंधी निर्गत अधिसूचना संख्या-1477/78-1-2011-51इले०/ 92टीसी-5, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 संलग्न है।

(ख) उपर्युक्त संदर्भित आमेलन नियमावली, 2011 विषयक अधिसूचना संख्या-1477/78-1-2011-51इले०/ 92टीसी-5, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 का प्रस्तार-2^ई (ii) उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जो शासन के किसी भी विभाग के अधीन किसी सोसायटी,

कमशः...2...

श्रीकृष्ण

प्राधिकरण अथवा किसी अन्य संस्था में कार्य कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को भी उसी विभाग में कार्यरत मानते हुए समायोजित करने के लिये संबंधित विभाग नियमावली को अपने यहाँ अंगीकृत (Adopt) कर लें।

3. कृपया उक्त निर्णयानुसार प्रस्तर-2 (क) के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रस्तर-2(ख) के संबंध में अपने अधीनस्थ सोसायटी, प्राधिकरण अथवा अन्य संबंधित संस्था को इस आशय के निर्देश भेजने का कष्ट करे कि वे उपर्युक्त संदर्भित आमेलन नियमावली, 2011 विषयक अधिसूचना संख्या-1477/78-1-2011-51इले0/92टीसी-5 दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 के प्रस्तर-2ई (ii) को अपने यहाँ अंगीकृत (Adopt) कर लें।

संलग्नक-योजना

भवदीय,
५-८८४५
(सुरेश चन्द्र गुप्ता)
दिशेष सचिव

संख्या-1478(1)/78-1-2011 तददिनोक :

प्रतीतिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
2. निजी सचिव, अवस्थापना, एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रोनिक्स, विभाग, उ.प्र. शासन।
4. शासकीय विभागों के अधीन- समस्त निगम, सोसायटी, प्राधिकरण तथा संस्था को जहाँ अपट्रान कर्मी कार्यरत है, को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त निर्णयानुसार अपट्रान कर्मियों के समायोजन की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, अपट्रान इण्डिया लि0/यू०पी०एल०सी०।
6. गार्ड फाईल।

आग्ने से,
५-८८४५
(सुरेश चन्द्र गुप्ता)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (अनुभाग-1)
संख्या-1477/78-1-2011-51इले0/92टीसी-5

लखनऊ, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के सरकास कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन करने का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के सरकास कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन, नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम 1.(1) यह नियमावली/सरकास उत्तर प्रदेश अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के प्रारम्भ और कर्मचारियों का सरकारी सेवा में सेवा में आमेलन, नियमावली, 2011 कही लागू होना जायेगी

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन एदों पर लागू होगी।

परिभाषाये (2) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

(क) 'संविधान' का तात्पर्य साराज का संविधान है,

(ख) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(ग) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(घ) 'सेवा नियमावली' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाई गयी नियमावली से है और जहां ऐसी कोई नियमावली नहीं है वहां सुसंगत सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करते हुए सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों से है,

(ड.) 'सरकास कर्मचारी' का तात्पर्य अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारी (तदर्थ केजुअल, वर्क चार्ज या संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारी को छोड़कर) से है, जो-

(एक) अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के अंशतः या पूर्ण रूप से परिसमापन के परिणाम स्वरूप अपट्रान इण्डिया लिमिटेड से सरकास हो गया हो, और

(दो) शासनादेश दिनांक 01.06.1997-क-4-99/1998, दिनांक नवम्बर 11, 1998 के अनुसार, किसी सरकारी विभाग में संविदा के आधार पर या बाड़ी शापिंग के आधार पर या प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहा हो।

आमेलन की 3 (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य सेवा नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल वात के होते हुए भी सरकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत किसी पद या सेवा को छोड़कर अधिसूचित आदेश द्वारा के कमश..2..

अधीन किसी पद या सेवा में अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के सरलस कर्मचारियों के आमेलन की अपेक्षा कर सकती है और ऐसे सरलस कर्मचारियों के सम्बन्ध में घर्ता के विभिन्न निबंधनों और शर्तों में शिथिलता को सम्मिलित करते हुए आमेलन के लिए प्रक्रिया विहित कर सकती है।

- (2) सुसंगत सेवा नियमावली में दिये गये उपबंध, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिसूचित आदेश में किये गये उपबंधों से अपनी असंगति की सीमा तक उपांतरित किये गये समझे जायेंगे।

आज्ञा से,

महापंडित

(जीवेश नन्दन)

सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 1477/78-1-2011-51Ele./92T.C-V
dated 20 DECEMBER, 2011

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH I.T. AND ELECTRONICS
DEPARTMENT (SECTION-1)

NOTIFICATION

Miscellaneous

No 1477/78-1-2011-51Ele./92T.C-V

Lucknow: Dated : 20 DECEMBER, 2011

IN exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the Governor is pleased to make the following rules to provide for the absorption in Government Service of the surplus employees of the Uptron India Limited:

THE UTTAR PRADESH ABSORPTION OF SURPLUS EMPLOYEES OF
UPTRON INDIA LIMITED IN GOVERNMENT SERVICE RULES-
2011

Short title, Commencement and application 1- (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Absorption of Surplus Employees of Uptron India Limited in Government Service Rules, 2011

Definition

- (2) They shall come into force at once.
(3) They shall apply to the posts under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution.
- 2- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context;
- (a) 'Constitution' means the constitution of India;
 - (b) 'Government' the state Government of Uttar Pradesh;
 - (c) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;
 - (d) 'service rules' means the rules made under the proviso to Article 309 of the Constitution and where there are no such rules, the executive instructions issued by the Government regulating the recruitment and the conditions of service of persons appointed to the relevant service;
 - (e) 'surplus employee' means an employee of the Uptron India Limited (other than an employee employed on ad hoc, casual, work-charged or contract basis) who-
 - (i) has been rendered surplus from the Uptron India Limited as a result of winding up either in whole or in part of the Uptron India Limited, and
 - (ii) is working on contract basis or body shopping basis or on deputation in a Government Department in accordance with Government order No.1/6/97-ka-4-99/1998, dated November 11, 1998.

Procedure for absorption

- 3- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other service rules for the time being in force, the Government may, by notified order, require the absorption of surplus employees of Uptron India Limited in any post or service under the Government except a post or service which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission and may prescribe the procedure for such absorption including relaxation in various terms and conditions of recruitment in respect of such surplus employees.

Receiving

...2...

- (2) The provisions contained in relevant service rules shall be deemed to have been modified to the extent of their inconsistency with the provisions made in the notified order referred to in sub-rule (1).

By order,

JIWESH NANDAN
Secretary